लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी (राजस्व)
(जिला कलक्टर),बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – प्रकाश चन्द्र शर्मा, IAS.

प्रकरण संख्या : 16 / 2023
GCMS NO. : 2023 / 75

प्रार्थी / अपीलार्थी :-

श्री महेन्द्र सिंह राठौड निवासी 17, कृष्ण कोलोनी, रामनगर, अजमेर 305001 (राज.)

बनाम

अप्रार्थी / रेस्पोण्डेंट्स:-

कोषाधिकारी (लोक सूचना अधिकारी) बांसवाडा

निर्णय

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

दिनांक :– 03–11–2023

प्रस्तुत मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं सयुक्त निदेशक (कोष) जयपुर को धारा 6(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन दिनांक 13–07–2023 को प्रस्तुत किया। उक्त आवेदन दिनांक 24.07.2023 को लोक सूचना अधिकारी (अति. जिला कलक्टर) बांसवाडा को स्थानान्तरित होकर प्राप्त हुआ। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत वांछित सूचना **कोषाधिकारी (लोक सूचना अधिकारी) बांसवाडा** से सम्बन्धित होने से लोक सूचना अधिकारी (अति. जिला कलक्टर) बांसवाडा द्वारा धारा 6(3) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन दिनांक 31–07–2023 को **कोषाधिकारी (लोक सूचना अधिकारी) बांसवाडा** को स्थानान्तरित किया। अपीलार्थी अनुसार प्रस्तुत आवेदन पर **कोषाधिकारी (लोक सूचना अधिकारी) बांसवाडा** द्वारा निर्धारित अवधि में भी सूचना उपलब्ध नही कराने पर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Sharma
Date: 2024.01.09 11:20:17 IST
Reason: SelfAttested

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर इस न्यायालय से नोटिस दिनांक 03–10–2023 को जारी कि[illegible] एवं अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भी नियत तिथी को अपना पक्ष रखने उपस्थित होने सूचित किया गया।

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

Police
Pena
id

अपीलार्थी बावजुद सूचना अनुपस्थित रहे। प्रत्यर्थी ने पत्रांक 617–618 दिनांक 19–10–2023 से जवाब प्रस्तुत किया जिसके संलग्न प्रेषित की गई सूचना का पत्र प्रस्तुत कर अवगत कराया कि अपीलार्थी के प्रश्नगत प्रार्थना पत्र दिनांक 13–07–2023 से बिन्दु सं. 1 व 2 की सूचना अपीलार्थी को जरिये पत्रांक 399 दिनांक 03–08–2023 को निदेशक कोष एवं लेखा राजस्थान जयपुर को भेजी गई है। अपील अपीलांट निरस्त फरमावे।

हमने पत्रावली **कोषाधिकारी (लोक सूचना अधिकारी) बांसवाडा** की ओर से प्रस्तुत जवाब एवं उसके संलग्न पत्रादि का अवलोकन किया एवं उस पर मनन किया। अपील अनुसार अपीलार्थी को उनके प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, के तहत दिनांक 13–07–2023 पर सूचना उपलब्ध नही कराने के कारण यह अपील पेश किया जाना जाहिर किया। **कोषाधिकारी (लोक सूचना अधिकारी) बांसवाडा** ने जवाब में उल्लेख किया कि उनके पत्रांक 399 दिनांक 03–08–2023 द्वारा निदेशक कोष एवं लेखा राजस्थान जयपुर को सूचना प्रेषित की गई है। प्रत्यर्थी द्वारा सन्दर्भित पत्र की प्रति जवाब के साथ संलग्न की है। किन्तु अपीलार्थी को **कोषाधिकारी (लोक सूचना अधिकारी) बांसवाडा** द्वारा सूचना से अवगत नही करवाया गया है। अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर **कोषाधिकारी (लोक सूचना अधिकारी) बांसवाडा** को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी को भी उनके प्रार्थना पत्र दिनांक 13.07.2023 से वांछित सूचना के सन्दर्भ में बिन्दुवार सूचना सात दिवस में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7(6) के तहत निःशुल्क उपलब्ध कराते हुए इस न्यायालय को अवगत करावे। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 03–11–2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Sharma
Date: 2024.01.09 11:20:17 IST
Reason: SelfAttested

(प्रकाश चन्द्र शर्मा) IAS.
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी,
जिला कलक्टर, बॉसवाडा (राज.)